# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

# बईलास संजीव कुमार शर्मा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 48/2018 दावा 2018/00590 — निर्णय दिनांक 12.03.2020

बउनवान

1. भैरूलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील निवासी रामनगर की टापरियां हाल निवास भंवरिया डडवाडा तहसील लाडपुरा।

वादी

बनाम

1. प्रेमबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि छोटूलाल जाति भील निवासी छोटा चान्दा (गणेशगंज के पास) तहसील ईटावा जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।
3. उप पंजीयक महोदय उपपंजीयक कार्यालय कनवास।
4. तुलसीराम पुत्र शिवनारायण जाति मीना निवासी पावढेरा तहसील चौथका बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।
5. भरतलाल पुत्र हरलाल जाति मीना निवासी पावढेरा तहसील चौथका बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया एडवोकेट
प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व एक तरफा।
प्रतिवादी क्रम 02, 03 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।
प्रतिवादी क्रम 04 व 05 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा।

वाद घोषणा खातेदारी व निषेधाज्ञा धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट0

## निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते घोषणा खातेदारी हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक जगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0, आराजी स्थित है। जो वादी व प्रतिवादी नबंर 01 के पिता छीतरलाल के फोत होने पर विरासतन नामान्तरण दर्ज करने पर वादी एवं प्रतिवादी नबंर 01 के खाते दर्ज की गई है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी नबंर 01 अनूसूचित जनजाति से भील जाति के हैं, जिन पर हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम लागू नंही होता है। तथा इन पर पूराना कानून जो कोटा स्टेट के समय लागू होता था वही वर्तमान में भी लागू होता है। कोटा स्टेट के सर्कूलर नबंर 03 हिन्दू व्यक्ति की मौत पर केवल पुरूष वारिसान ही विरासत में हकदार होते है। तथा उस समय के कानून कोटा स्टेट सर्कुलर में हिन्दू व्यक्ति की मौत पर केवल उसके पुरूष वारिसान ही विरासत में हकदार होते थे, पत्नि व पुत्री को विरासत में हक नहीं मिलता था, और आज भी भील व मीना अनूसूचित जनजाति के लोगों पर पुराना हिन्दू कानून लागू होता है। इसलिये छीतरलाल की भील की मृत्यु पर उसके एक मात्र पुत्र भैरूलाल ही उसके खाते में स्थित आराजी का हकदार है। छीतरलाल की पुत्री प्रेमबाई को (प्रतिवादी नबंर 01) का छीतरलाल की आराजी में विरासत में कोई हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी अपने

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हिन्दूउत्तााधिकार अधिनियम 1955–56 लागू नहीं होने से इन पर पूराना कोटा स्टेट का कानून लागू होता है। जिसमे पुरूष वशंज की उपस्थिति में महिलाओं को हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

यह कि इस प्रकार छीतरलाल की मृत्यु पर राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा विरासत में नामान्तरण दर्ज करने में प्रतिवादी प्रेमबाई का नाम दर्ज करके कानून का उल्लघंन किया है, तथा वादी के हितों पर कुठाराघात किया है जो वादी के साथ अन्याय है। वादी के साथ इस प्रकार प्रतिवादनी का नाम दर्ज कर देने से प्रतिवादनी को कोई हक प्राप्त नही होते हैं। तथा वादी अपने हक प्राप्त करने तथा राजस्व खाते से प्रतिवादी नबंर 01 प्रेमबाई का नाम डिलीट कराने का कानूनन अधिकारी है। इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर भी वादी व प्रतिवादी नबंर 01 के सम्पूर्ण दर्शाये गये हिस्से पर वादी ही काबिज काश्त है।

यह कि प्रतिवादी नबंर 01 के मन में खोट आ गई है तथा वह अपने नाम का खाते में दर्ज होने का दुरूप्रयोग कर अपने हिस्से की आराजी को बेचाने व खुर्द–बुर्द करने पर आमदा हो रही है, जबकि न तो उसका भूमि पर कब्जा है और नाहीं उसका कोई वैध अधिकार हैं प्रतिवादी नबंर 01 द्वारा भूमि का विक्रय कर देने से वादी अपने कानूनी हक से भूमि से वंचित होना पडेगा, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नबंर 01 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जाारी कर भूमि खुर्द–बुर्द व हस्तातंरण को रोका जावे।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक जगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0,आराजी में निहित प्रेमबाई प्रतिवादी नबंर 01 के 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड से प्रेमबाई का नाम डिलीट किया जावे, तथा प्रेमबाई के सम्पूर्ण हिस्से पर प्रेमबाई के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी नबंर 01 को ग्राम चकजगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0, को खुर्द–बुर्द व रहन बेचान करने से रोका जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण को जारी की गई। प्रतिवादी नबंर 01 को सूचना होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्व दिनांक 09.10.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी नबंर 04 व 05 की ओर एडवोकेट महावीर मेरोठा द्वारा दिनांक 27.08.2019 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नबंर 02 व 03 की ओर से पेरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास उपस्थित। प्रतिवादी नबंर 04 व 05 द्वारा जवाब पेश नहीं करने की कहने पर दिनांक 02.09.2019 को जवाब बंद किया गया।प्रतिवादी नबंर 02 व 03 का जवाब दिनांक 19.11.2019 को बंद किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी नबंर 02 लगायत 04 का जवाब बंद होने व प्रतिवादी नबंर 01 के विरूद्व 01 तरफा कार्यवाही होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य में ली गयी। साक्ष्यवादी में वादी भेरूलाल एवं दुर्गालाल, सत्यनारायण के बयान के शपथ–पत्र पेश किये गये, दस्तावेज प्रर्दश हुये। प्रतिवादीगण 02 लगायत 05 की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना करने पर साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गयी। वकील वादी ने साक्ष्यवादी व प्रतिवादी बंद होने पर बहस करने का निवेदन किया। जिनकी बहस सुनी गयी। दौराने बहस वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हये आर0आर0डी0 1989 पेज नबंर 284 फूमा बनाम राजस्थान सरकार की नजीर पेश की गयी तथा कोटा स्टेट सर्कुलर नबंर 03 धारा 46 पेश किया, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त नजीर इस प्रकरण पर लागू होता है। जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति पर जिसमें भील–मीना जाति आती है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1955–56 लागू नहीं होता है। केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनूसुचित जनजाति पर लागू होने बाबत कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस जाति पर कोटा स्टेट का पूराना हिन्दू कानून लागू होता है जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति भील व मीना में पुरूष खातेदार के फोत होने पर पुरूष वशंज की मौजूदगी में महिलाओं को जिनमें बेटी व पत्नि भी शामिल को विरासत में अधिकार नहीं मिलते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य, पी0डब्लू 1 भैरूलाल पी0डब्लू 02 दुर्गालाल, पी0डब्लू 03 सत्यनारायण, के कथनों का अवलोकन किया गया। दस्तावेज साक्ष्य नकल जमाबंदी सम्वत 2072–75 व जमाबंदी सम्वत 2040–43 तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058–77, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया , जमाबंदी सम्वत 2040–43 में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादनी नबंर 01 के पिता छीतर पुत्र गणेज जाति भील साकिन कनवास के खाते दर्ज थी। जो वर्तमान में हाल खसरा नबंर से उसके पुत्र व पुत्री वादी व प्रतिवादी 01 के खाते दर्ज है। कानूनन छीतर के फोती इन्तकाल में प्रतिवादी 01 का नाम नहीं आना चाहिये था। इस प्रकार वादी का वाद उचित पाया जाता है। तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चक जगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0, में स्थित प्रेमबाई (प्रतिवादी नबंर 01) के सम्पूर्ण हिस्से 1/2 का खातेदार वादी भेरूलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील निवासी कनवास को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में से प्रेमबाई का नाम डिलीट किया जाकर उसके हिस्से पर भैरूलाल का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम चक जगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0,वादी भैरूलाल को 17/30, तुलसीराम प्रतिवादी नबंर 04 को 1/6, तथा भरतलाल को 4/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादी नबंर 01 उक्त आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द रहन बेचान, हस्तानान्तरण न करें, तथा वादी को शांति पूर्वक काश्त करने में किसी भी प्रकार की मजाहत मजाखलत न करें।
निर्णय आज दिनांक 12.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

**न्यायालय ब इजलास श्री संजीव कमार शर्मा R.A.S. उपखंण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)**

**प्रकरण संख्या 48/2018** दावा **निर्णय दिनांक 12.03.2020**

**2018/00590**

**बउनवान**

1. भैरूलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील निवासी रामनगर की टापरियां हाल निवास भंवरिया डडवाडा तहसील लाडपुरा।

वादी

**बनाम**

1. प्रेमबाई पुत्री छीतरलाल पत्नि छोटूलाल जाति भील निवासी छोटा चान्दा (गणेशगंज के पास) तहसील ईटावा जिला कोटा राज0।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।
3. उप पंजीयक महोदय उपपंजीयक कार्यालय कनवास।
4. तुलसीराम पुत्र शिवनारायण जाति मीना निवासी पावढेरा तहसील चौथका बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।
5. भरतलाल पुत्र हरलाल जाति मीना निवासी पावढेरा तहसील चौथका बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया एडवोकेट

प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व एक तरफा।

प्रतिवादी क्रम 02, 03 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

प्रतिवादी क्रम 04 व 05 की ओर से एडवोकेट श्री महावीर मेरोठा।

**वाद घोषणा खातेदारी व निषेधाज्ञा धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट0**

मुकदमा नं. **48/2018** तारीख फैसला **12.03.2020 न्यायालय ब इजलास श्री संजीव कुमार शर्मा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी नं. 02 व 03 की ओर से तहसीलदार कनवास तथा 04 व 05 की ओर से श्री महावीर मेरोठा** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम चक जगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0, में स्थित प्रेमबाई (प्रतिवादी नबंर 01) के सम्पूर्ण हिस्से 1/2 का खातेदार वादी भेरूलाल पुत्र छीतरलाल जाति भील निवासी कनवास को खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में से प्रेमबाई का नाम डिलीट किया जाकर उसके हिस्से पर भैरूलाल का नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। ग्राम चक जगदीशपुरा पटवारी हल्का जालिमपुरा तहसील कनवास में खसरा नबंर 467/532 रकबा 0.16 है0, खसरा नबंर 468 रकबा 2.15 है0, खसरा नबंर 469 की 0.12 है0, किता 03 की रकबा 2.49 है0,वादी भैरूलाल को 17/30, तुलसीराम प्रतिवादी नबंर 04 को 1/6, तथा भरतलाल को 4/15 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादी नबंर 01 उक्त आराजी को

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द रहन बेचान, हस्तानान्तरण न करें, तथा वादी को शांति पूर्वक काश्त करने में किसी भी प्रकार की मजाहत मजाखलत न करें।

**तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **12.03.2020** को जारी की गई।

| मुदई | | रूपया | पै. | मुदायलाह | | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | .... | ----NIL---- | | स्टाम्प वकालतनामा | .... | ----NIL---- | |
| स्टाम्प वकालतनामा | .... | | | स्टाम्प अर्जी | .... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | .... | | | महनताना वकील | .... | | |
| महनताना वकील | .... | | | खर्चा गवाहान | .... | | |
| खर्चा गवाहान | .... | | | फीस कमिश्नर | .... | | |
| फीस कमिश्नर | .... | | | बाबत इजराय हुकमनामा | .... | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | .... | | | मुतफर्रिक | .... | | |
| मुतफर्रिक | .... | | | मीजान | .... | | |
| मीजान | .... | | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास